

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलियों, जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या :- 258/22

तारीख दायर

- 1- तुलसीराम पिता भैरू जाति अहीर, उम्र वयस्क निवासी तिलस्वां, तहसील बिजौलियों जिला भीलवाड़ा (राज0)

---प्रार्थी

बनाम

- 1- सत्यनारायण पिता भैरूलाल जाति अहीर, उम्र वयस्क निवासी तिलस्वां, तहसील बिजौलियों जिला भीलवाड़ा (राज0)
- 2- फौरी बेवा गोपाल जाति अहीर, उम्र वयस्क निवासी तिलस्वां, तहसील बिजौलियों जिला भीलवाड़ा (राज0)
- 3- नन्दलाल पिता रामचन्द्र जाति अहीर, उम्र वयस्क निवासी तिलस्वां, तहसील बिजौलियों जिला भीलवाड़ा (राज0)
- 4- फौरूलाल पिता रामचन्द्र जाति अहीर, उम्र वयस्क निवासी तिलस्वां, तहसील बिजौलियों जिला भीलवाड़ा (राज0)

---विपक्षीगण

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 11-128 रा0ले0रे0 एक्ट

:-आदेश:-

दिनांक 17.6.2022

प्रार्थनापत्र प्रार्थी श्री तुलसीराम ने जरिये अभिभाषक श्री ओमप्रकाश शर्मा, हर्षवर्धन शर्मा प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते कि भूमि मौजा ग्राम तिलस्वां, पटवार क्षेत्र तिलस्वां, भु-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कास्यां तहसील बिजौलियों में स्थित खाता संख्या 102 आराजी नंबर 924/431 रकबा 0.2023 हैक्टेयर भूमि स्थित है। विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगड़ा फसाद करते हैं। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावे साथ में प्रार्थनापत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न हैं।

प्रार्थना पत्र रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गयी और पत्रावली का अवलोकर किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्वत 2075-2078 के अवलोकर से प्रार्थी वादग्रस्त आराजियात का खातेदार/गेर खातेदार काश्तकार हैं। पडोसियान के विवाद करने बाबत शपथपत्र संलग्न हैं। पत्थरगढी से किसी के स्वामित्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडता है।

अतः प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 11-128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया मौजा ग्राम तिलस्वां, पटवार क्षेत्र तिलस्वां, भु-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कास्यां तहसील बिजौलियों में स्थित खाता संख्या 102 आराजी नंबर 924/431 रकबा 0.2023 हैक्टेयर भूमि की बाशामालात पडोसियान के पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढी शुल्क राशि 100/- रुपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियों को लिखा जावे।

प्रार्थनापत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हों।

आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियों, भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :- 258/2022

तारीख दायर 17/01/22

प्रेषिति :-

तहसीलदार
बिजौलियों

विषय :- प्रकरण संख्या 258/2022 पत्थरगढी बाबत।

- 1- तुलसीराम पिता भैरू जाति अहीर, उम्र वयस्क निवासी तिलस्वां, तहसील बिजौलियों जिला भीलवाड़ा (राज0)

—प्रार्थी


बनाम

- 1- सत्यनारायण पिता भैरूलाल जाति अहीर, उम्र वयस्क निवासी तिलस्वां, तहसील बिजौलियों जिला भीलवाड़ा (राज0)
- 2- फौरी बेवा गोपाल जाति अहीर, उम्र वयस्क निवासी तिलस्वां, तहसील बिजौलियों जिला भीलवाड़ा (राज0)
- 3- नन्दलाल पिता रामचन्द्र जाति अहीर, उम्र वयस्क निवासी तिलस्वां, तहसील बिजौलियों जिला भीलवाड़ा (राज0)
- 4- फौरूलाल पिता रामचन्द्र जाति अहीर, उम्र वयस्क निवासी तिलस्वां, तहसील बिजौलियों जिला भीलवाड़ा (राज0)

—विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण में आदेश होकर लेख है कि मौजा ग्राम तिलस्वां, पटवार क्षेत्र तिलस्वां, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कास्यां तहसील बिजौलियों में स्थित खाता संख्या 102 आराजी नंबर 924/431 रकबा 0.2023 हैक्टेयर भूमि की बशमलात पड़ोसीयान के पत्थरगढी कि जावें। मौके पर पत्थरगढी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जारिये पत्थरगढी कब्जा नही हटाया जावे तथा सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढी हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक बिजौलियों कलां को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 500 तय कि जाती है वक्त मोके पर प्रार्थी अदा करेंगा। पत्थरगढी करने से पूर्व पड़ोसी एवं विपक्षीगणो को सुचित करते हुए पत्थरगढी करें।

पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन मे आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।


अधीनस्थ अधिकारी
बिजौलियों जिला भीलवाड़ा